९/१/२३ वादिया अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट हेतु ब्रान्च मैनेजर को पत्र लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक २५/१/२०२३ को पेश हो।

२५/०१/२३ वादिया अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट शाखा प्रबन्धक से प्राप्त हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक ३०/०१/२०२३ को पेश हो।

३०/०१/२३ वादिया अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 163/2022

वादिया	बनाम	प्रतिवादी
1. भूपेन्द्र कौर पत्नी हरवंत सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ ए तहसील श्रीकरणपुर।		1. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ए.डी.बी. श्रीकरणपुर,तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 03.08.2022

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 30.01.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 63/64 के मुरब्बा नम्बर 66, 67, 68, 77/15 की कुल 13.140 हेक्टैयर भूमि में वादिया के नाम 3.623 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में वादिया के पति हरवंत सिंह पुत्र होशियार सिंह के नाम दर्ज थी। हरवंत सिंह ने अपनी उक्त भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में वादिया के नाम की थी। वादिया के पति हरवंत सिंह ने अपने जीवनकाल में 7.428 हेक्टैयर भूमि पर भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा श्रीकरणपुर से ऋण प्राप्त किया था। जिस पर शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा श्रीकरणपुर ने शडयूल दिनांक 09.08.2005 को वादिया के पति हरवंत सिंह के पक्ष में दिया था। जिसका पंजीयन शाखा श्रीकरणपुर से दिनांक 09.08.2005 को पंजीयन हुआ था। पंजीयन कार्यालय से ऋण प्राप्ति बाबत रजिस्ट्रर्ड होने पर श्रीमान् तहसीलदार साहब श्रीकरणपुर द्वारा पटवारी हल्का चक 2 एफ एफ ए ने वादिया के पति हरवंत सिंह पुत्र होशियार सिंह के नाम उक्त भूमि पर ऋण बाबत जमाबन्दी में नोट करने ऋण प्राप्त बाबत जमाबन्दी मे ऋण का इन्तकाल दर्ज किया था। वादिया के पति हरवंत सिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का ऋण चुकता कर दिया था। जिस पर बैंक द्वारा एनओसी अपने पंत्राक 228 दिनांक 10.08.2016 को जारी किया था व बैंक द्वारा तहसील श्रीकरणपुर को पत्र प्रेषित किया, जिस पर तहसील कार्यालय के रजिस्टर क्रमांक 1200 दिनांक 10.08.2016 को पटवारी हल्का को एनओसी प्रमाण पत्र भिजवाया था। इस ऋण की अदायगी के बाद मेरे पति हरवंत सिंह ने या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का बैंक ऋण प्राप्त नहीं किया है। वादिया द्वारा अपनी भूमि में से कुछ अपनी पुत्री को जरिए दस्तबरदारी दी गई है। जब उक्त भूमि का इन्तकाल अपनी पुत्री के नाम दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि आपकी भूमि पर ऋण है। इसलिए पहले आपको लोन भरना पडेगा, तो वादिया ने कहा कि हमने कोई ऋण नहीं लिया है। जिस पर वादिया तहसीलदार के भी दरख्वास्त दी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यही वाद कारण है। उक्त संशोधन के लिए [illegible] तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर व अन्य राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो के समक्ष निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त [illegible] के संशोधन [illegible] करवाने हेतु हिदायत दी। इस कारण वाद-हेतुक की उत्पति [illegible] प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व [illegible] पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/64 में वादिया के नाम दर्ज 3623/6570 हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी श्रीकरणपुर के हक में इन्तकाल संख्या 58 पर दर्ज रहन नोट हटाए जाने के आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के शाखा भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी श्रीकरणपुर के रिकॉर्ड मुताबिक हरवंत सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी 2 एफ एफ ए का बैंक ऋण बकाया नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 पैराकार राज की तलवी के सम्मन बाद तामील प्राप्त। पैराकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 2 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/64 की प्रति, इन्तकाल संख्या 58 की प्रति, भारतीय स्टेट बैंक के पंत्राक 228 दिनांक 10.08.2019 की प्रति, वादिया के पति हरवंत सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति, उप पंजीयक शाखा श्रीकरणपुर के 6(1) की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया द्वारा चक 2 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/64 में क्रम संख्या 2 पर दर्ज रहन हिस्सा 3623/6570 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीकरणपुर का नोट हटाए जाने बाबत निवेदन किया है। शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के शाखा भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी श्रीकरणपुर के रिकॉर्ड मुताबिक हरवंत सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी 2 एफ एफ ए का बैंक ऋण बकाया नहीं है। बाकीदार के द्वारा बैंक ऋण अदा कर दिया है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/64 में क्रम संख्या 2 पर दर्ज रहन हिस्सा 3623/6570 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीकरणपुर को हटाए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लेखबद्ध लिखवाया जाकर ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:26 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

भूपेन्द्र कौर बनाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर **163/2022**
निर्णय दिनांक :- 30.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 2 एफ एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/64 में क्रम संख्या 2 पर दर्ज रहन हिस्सा 3623/6570 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीकरणपुर को हटाए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 30.01.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 30.01.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/41
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:26 IST
Reason: SelfAttested